



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2005/वैशाख 12, 1927

No. 60]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2005/VAISAKHA 12, 1927

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2005

सं. 312-7/2003-इको.— भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1) (बी) (i) के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) एतद्वारा दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में आगे निम्न संशोधन करता है:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

(i) यह आदेश "दूरसंचार टैरिफ (सैंतीसवां संशोधन) आदेश, 2005

(2005 का क्रमांक 4)" कहा जाएगा ।

(ii) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू

होगा ।

2. 21 अप्रैल, 2005 को पिछली बार यथा-संशोधित दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 की अनुसूची iv (घरेलू लीज्ड सर्किट) के खण्ड 3(ड) के बाद एक नया खण्ड 3(च) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टि निम्नानुसार जोड़ी जाएगी :

<p>3(च) मैनेज्ड लीज्ड लाइन नेटवर्क टेक्नोलॉजी पर 64 केबीपीएस से ज्यादा परन्तु 2 एमबीपीएस से कम गति/क्षमता के सर्किट</p>	<p>मैनेज्ड लीज्ड लाइन नेटवर्क टेक्नोलॉजी के ऐसे सर्किटों जिनमें वी-एमयूएक्स तथा ट्रांजिट स्टेशनों का इस्तेमाल किया जाता है और जहां लीज्ड सर्किट के प्रदाता द्वारा मॉडम तथा उसका अनुरक्षण मुहैया कराया जाता है, उनमें 64 केबीपीएस क्षमता के लिए अधिकतम टैरिफ, इस अनुसूची के अनुबंध 5 में विनिर्दिष्ट की गई है। 128 केबीपीएस से 960 केबीपीएस (एन 64*केबीपीएस) क्षमताओं के लिए अधिकतम टैरिफ का निर्धारण 64 केबीपीएस के लीज्ड सर्किटों के अधिकतम टैरिफ को नीचे निर्दिष्ट गुणकों से गुणा करके किया जाएगा:</p> <table border="1" data-bbox="566 918 1418 1312"> <thead> <tr> <th>क्षमता (केबीपीएस)</th> <th>गुणकों</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>128</td> <td>1.8</td> </tr> <tr> <td>192</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>256</td> <td>3.1</td> </tr> <tr> <td>320</td> <td>3.6</td> </tr> <tr> <td>384</td> <td>4.0</td> </tr> <tr> <td>512</td> <td>4.8</td> </tr> <tr> <td>768</td> <td>6.4</td> </tr> <tr> <td>960</td> <td>7.6</td> </tr> </tbody> </table>	क्षमता (केबीपीएस)	गुणकों	128	1.8	192	2.5	256	3.1	320	3.6	384	4.0	512	4.8	768	6.4	960	7.6
क्षमता (केबीपीएस)	गुणकों																		
128	1.8																		
192	2.5																		
256	3.1																		
320	3.6																		
384	4.0																		
512	4.8																		
768	6.4																		
960	7.6																		

वर्तमान खण्ड 3 (च) को 3 (छ) के रूप में पुनर्संख्याकित किया जाएगा तथा वर्तमान 3 (छ) को 3 (ज) के रूप में पुनर्संख्याकित किया जाएगा जो इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

<p>3(ज) मध्यवर्ती दूरियों के लिए टैरिफ</p>	<p>अनुसूची IV के अनुबंध 1 से 5 में निर्दिष्ट दूरियों के बीच की दूरियों के लिए टैरिफ आनुपातिक आधार पर प्रभारित किया जाएगा ।</p>
--	--

अनुसूची IV का अनुबंध 5

64 केबीपीएस मैनेज्ड लीज्ड लाइन नेटवर्क (एमएलएलएन) – घरेलू लीज्ड सर्किट के तत्काल संदर्भ के लिए उपलब्ध अधिकतम टैरिफ (प्रतिवर्ष/रुपयों में)

दूरी (कि.मी.)	64 केबीपीएस सर्किट के लिए टैरिफ	दूरी (कि.मी.)	64 केबीपीएस सर्किट के लिए टैरिफ
5	24,558	180	51,604
10	25,632	185	52,284
15	26,707	190	52,963
20	27,781	195	53,642
25	28,856	200	54,412
30	29,930	205	55,091
35	31,005	210	55,770
40	32,079	215	56,449
45	33,154	220	57,129
50	34,319	225	57,808
55	34,442	230	58,487
60	35,121	235	59,167
65	35,800	240	59,846
70	36,480	245	60,525
75	37,159	250	61,295
80	37,838	255	61,974
85	38,518	260	62,653
90	39,197	265	63,332
95	39,876	270	64,012
100	40,646	275	64,691
105	41,325	280	65,370
110	42,004	285	66,050
115	42,683	290	66,729
120	43,363	295	67,408
125	44,042	300	68,178
130	44,721	305	68,857
135	45,401	310	69,536
140	46,080	315	70,215
145	46,759	320	70,895
150	47,529	325	71,574
155	48,208	330	72,253
160	48,887	335	72,933
165	49,566	340	73,612
170	50,246	345	74,291
175	50,925	350	75,061

दूरी (कि.मी.)	64 केबीपीएस सर्किट के लिए टैरिफ
355	75,740
360	76,419
365	77,098
370	77,778
275	78,457
380	79,136
385	79,816
390	80,495
395	81,174
400	81,944
405	82,623
410	83,302
415	83,981
420	84,661
425	85,340
430	86,019
435	86,699
440	87,378
445	88,057
450	88,827
455	89,506
460	90,185
465	90,864
470	91,544
475	92,223
480	92,902
485	93,582
490	94,261
495	94,940
500	95,710
>500	96,000

इस आदेश के अनुबंध क में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है जिसमें दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में यह संशोधन करने के कारण स्पष्ट किए गए हैं ।

आदेशानुसार,

एम. कन्नन, सलाहकार (आर्थिक)

[विज्ञापन III/IV/142/2005-असा.]

अनुबंध - क

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1.1 भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने सूचित किया है कि 64 केबीपीएस सर्किट दो पद्धतियों - पुराने 64 केबीपीएस सर्किट तथा नए मैनेज्ड लीज्ड लाइन नेटवर्क आधारित 64 केबीपीएस सर्किट में मुहैया कराए जा रहे हैं। ये मैनेज्ड लीज्ड लाइन नेटवर्क (एमएलएलएन) आधारित सर्किट जो वी-एमयूएक्स प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांजिट स्टेशनों का इस्तेमाल करते हैं और इनमें 64 केबीपीएस अथवा एन*64 केबीपीएस से ज्यादा परन्तु 2 एमबीपीएस से कम गति/क्षमता के सर्किटों के लिए बीएसएनएल द्वारा सर्किट टर्मिनेट करने के लिए मॉडम/कस्टमर प्रीमाइस इक्यूपमेंट (सीपीई) मुहैया कराया जाता है। टीटीओ, 1999 में जारी 36वें संशोधन के लिए की गई गणना, 64 केबीपीएस के लीज्ड लाइन सर्किट को मुहैया कराए जाने की पुरानी पद्धति पर आधारित थी। 64 केबीपीएस और एन*64 केबीपीएस के सर्किटों के अधिकतम टैरिफ, जिन्हें अनुसूची IV के खण्ड 3 (क) में विनिर्दिष्ट किया गया था, भी इसी आधार पर आकलित किए गए थे।

1.2 प्राधिकरण ने बीएसएनएल द्वारा प्रस्तुत सूचना की समीक्षा की है और पाया है कि यह दावा ऐसी नई सेवा के लिए है जिसके बारे में प्राधिकरण को पहले सचित नहीं किया गया था और उनके पास इसके लागत के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं थे। बीएसएनएल का दावा है कि ऐसे सर्किटों की व्यवस्था करने के लिए विशेष मॉडम तथा ट्रांजिट स्टेशनों के माध्यम से सर्किटों का बिल्ड-अप आवश्यक है और इसलिए इसकी व्यवस्था करने की लागत टीटीओ, 1999 में 21 अप्रैल, 2005 को किए गए 36वें संशोधन में अधिसूचित अधिकतम टैरिफ से काफी ज्यादा होने की संभावना है।

1.3 अतः प्राधिकरण ने ऊपर संशोधित अनुसूची IV के खंड 3(च) के अनुसार एमएलएलएन सर्किटों के लिए अधिकतम टैरिफ अधिसूचित किया है। टैरिफ की यह अधिकतम सीमा टीटीओ, 1999 में किए गए 36वें संशोधन से पूर्व के 64 केबीपीएस

तथा एन*64 केबीपीएस सर्किटों के टैरिफ के समान है। यह टैरिफ एक माह तक जारी रहेगा ताकि प्राधिकरण के पास सेवा प्रदाताओं से पर्याप्त सूचना इकट्ठा करने तथा यह निर्धारित करने कि नए अधिकतम टैरिफ की सीमा क्या होनी चाहिए, पर्याप्त समय रहे। परम्परागत 64 केबीपीएस और एन*64 केबीपीएस सर्किटों के मामले में टीटीओ, 1999 में किए गए 36वें संशोधन की अनुसूची IV के खण्ड (3) (क) में निर्धारित अधिकतम टैरिफ जारी रहेगा।

**TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd May, 2005

No. 312-7/2003-Eco.— In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of section 11 read with section 11(1)(b)(i) of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) hereby further amends the Telecommunication Tariff Order, 1999 as under, namely:

1. Short title, extent and commencement:

- (i) This Order shall be called "The Telecommunication Tariff (Thirty Seventh Amendment) Order, 2005" (4 of 2005).
- (ii) This Order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Schedule IV (Domestic Leased Circuits) of the Telecommunication Tariff Order 1999, as last amended on 21st April 2005, after clause (3)(e) a new clause (3)(f) and entries relating thereto shall be inserted to read as under:

(3)(f) Circuits with Speed / Capacity of 64 Kbps up to but less than 2 Mbps provided on Managed Leased Line Network technology	<p>For circuits of type Managed Leased Line Network technology, utilizing V-MUX and Transit Stations, and where the modem and its maintenance is provided by the provider of the leased circuit, for capacity of 64 Kbps the ceiling tariff is as specified in Annexure 5 to this Schedule. Ceiling tariffs for capacities 128 Kbps to 960 Kbps (N*64 Kbps) shall be determined by multiplying the ceiling tariff for leased circuits of 64 Kbps by the coefficients specified below:</p> <table border="1" data-bbox="662 918 1321 1256"> <thead> <tr> <th><u>Capacity (Kbps)</u></th> <th><u>Coefficient</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>128</td> <td>1.8</td> </tr> <tr> <td>192</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>256</td> <td>3.1</td> </tr> <tr> <td>320</td> <td>3.6</td> </tr> <tr> <td>384</td> <td>4.0</td> </tr> <tr> <td>512</td> <td>4.8</td> </tr> <tr> <td>768</td> <td>6.4</td> </tr> <tr> <td>960</td> <td>7.6</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Capacity (Kbps)</u>	<u>Coefficient</u>	128	1.8	192	2.5	256	3.1	320	3.6	384	4.0	512	4.8	768	6.4	960	7.6
<u>Capacity (Kbps)</u>	<u>Coefficient</u>																		
128	1.8																		
192	2.5																		
256	3.1																		
320	3.6																		
384	4.0																		
512	4.8																		
768	6.4																		
960	7.6																		

The existing clause (3)(f) shall be renumbered as (3)(g), and the existing (3)(g) shall be renumbered as (3)(h), and substituted to read as under:

(3)(h) Tariff for intermediate distances	For distances lying in between the distances specified in Annexures 1 to 5 of Schedule IV, the tariffs shall be charged on pro-rata basis.
--	--

Annexure 5 to Schedule IV

READY-RECKONER CEILING TARIFF (in Rs./Annum) FOR**64 Kbps Managed Leased Line Network (MLLN) DOMESTIC LEASED
CIRCUITS**

Distance (km)	Tariff for 64 Kbps Circuit	Distance (km)	Tariff for 64 Kbps Circuit
5	24,558	180	51,604
10	25,632	185	52,284
15	26,707	190	52,963
20	27,781	195	53,642
25	28,856	200	54,412
30	29,930	205	55,091
35	31,005	210	55,770
40	32,079	215	56,449
45	33,154	220	57,129
50	34,319	225	57,808
55	34,442	230	58,487
60	35,121	235	59,167
65	35,800	240	59,846
70	36,480	245	60,525
75	37,159	250	61,295
80	37,838	255	61,974
85	38,518	260	62,653
90	39,197	265	63,332
95	39,876	270	64,012
100	40,646	275	64,691
105	41,325	280	65,370
110	42,004	285	66,050
115	42,683	290	66,729
120	43,363	295	67,408
125	44,042	300	68,178
130	44,721	305	68,857
135	45,401	310	69,536
140	46,080	315	70,215
145	46,759	320	70,895
150	47,529	325	71,574
155	48,208	330	72,253
160	48,887	335	72,933
165	49,566	340	73,612
170	50,246	345	74,291
175	50,925	350	75,061

Distance (km)	Tariff for 64 Kbps Circuit
355	75,740
360	76,419
365	77,098
370	77,778
275	78,457
380	79,136
385	79,816
390	80,495
395	81,174
400	81,944
405	82,623
410	83,302
415	83,981
420	84,661
425	85,340
430	86,019
435	86,699
440	87,378
445	88,057
450	88,827
455	89,506
460	90,185
465	90,864
470	91,544
475	92,223
480	92,902
485	93,582
490	94,261
495	94,940
500	95,710
>500	96,000

This Order contains at Annexure A an Explanatory Memorandum, which explains the reasons for this amendment to the Telecommunication Tariff Order, 1999.

By Order,

M. KANNAN, Advisor (Economic)

[ADVT III/IV/142/2005-Exty.]

Annexure - A
Explanatory Memorandum

1. Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) has submitted that 64 Kbps circuits are being provided in two methods: classical 64 Kbps circuits, and new Managed Leased Line Network-based 64 Kbps circuits. These Managed Leased Line Network (MLLN) based circuits that utilize V-MUX technology, utilize Transit Stations, and where the modem / Customer Premise Equipment (CPE) for terminating the circuit is provided by BSNL for circuits of speed / capacity of 64 Kbps or N*64 Kbps up to but below 2 Mbps. The calculations of the Authority in issuing the 36th Amendment to TTO 1999 where tariff ceilings for 64 Kbps and N*64 Kbps circuits were specified in clause (3)(a) of Schedule IV, were based on the classical method of providing 64 Kbps leased circuits.
2. The Authority has reviewed the information submitted by BSNL and has seen that this claim is for a new service for which the Authority has had no prior submission or cost data available. BSNL's claim is that for provision of such circuits, special modems and build-up of circuits through Transit Stations is necessary, and therefore cost of provision is potentially significantly higher than the ceiling tariffs notified by the Authority on 21st April 2005 in the 36th Amendment to TTO 1999.
3. The Authority has therefore notified a ceiling tariff for MLLN circuits as per clause (3)(f) of the amended Schedule IV above. This tariff ceiling is equal to the previous tariff ceiling for 64 Kbps and N*64 Kbps circuits prior to the 36th Amendment of TTO 1999. This tariff shall prevail for one month so that the Authority has sufficient time to collect the relevant cost information from service providers and evaluate what the new ceiling tariff for such services should be. For traditional 64 Kbps and N*64 Kbps circuits the tariff ceilings as prescribed in 36th Amendment of TTO 1999 in clause (3)(a) of Schedule IV would continue.